राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः– एफ 27(151)/ग्रावि/ग्रुप–5/सुराज संकल्प–13/2014 जयपुर, 15 अप्रैल 2015

आदेश –2015/14

"**सभी के लिये आश्रय की प्रतिबद्धता**" के मध्य नजर राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1957 से 1995 तक विभिन्न नामों से ग्रामीण आवास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 1996 से इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में बी.पी.एल. सेंन्सस 2002 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मुख्यतः बी.पी.एल. सेंन्सस 2002 में शामिल 0 कोड आवासहीन व 01 कोड कच्चा मकान वाले परिवारों को लाभ देय है।

इन्दिरा आवास योजना की पात्रता सूची के अतिरिक्त राज्य के अन्य आवासहीन गरीब परिवार जो इन्दिरा आवास योजना हेतु पात्र नहीं है, को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–2016 के बजट में आवास योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का नाम **अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना** होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2015–16 में 3000 परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के समान ही 70,000 रु प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1.1 अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना :–

इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित कराई जावेंगी। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अपात्र गरीब परिवार जो आवासहीन/कच्चा आवास/जीर्ण–शीर्ण पक्का आवास में निवास कर रहे है उनको देय होगा। ऐसे लाभार्थी जो पूर्व में आवास योजना के अन्तर्गत लाभ ले चुके है योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र नहीं होगें। चिन्हित परिवार का बी.पी.एल. 2002 में चयन होना आवश्यक नहीं होगा अर्थात ऐसे आवासहीन लाभार्थी जो बी.पी.एल. सेन्सस 2002 में या निकट भविष्य में जारी होने वाली एस.ई.सी.सी. सूची में शामिल नही है इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगें।

1.2 उद्देश्यः–

योजना के अन्तर्गत चिन्हित आदिवासी जन जातीय जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विकलांग परिवार एवं एकल विधवा परिवार श्रेणीयों के आवासहीन/कच्चा मकान/जीर्ण–शीर्ण पक्का आवास वाले परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेंगी।

1.3 वित्तीय पोषण :–

योजना हेतु अनुमत अनुदान व अन्य लाभ इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी को वर्तमान में प्रचलित देय अनुदान व अन्य लाभ के समकक्ष होगें एवं इन्दिरा आवास योजना में अनुमत अनुदान के समान लाभार्थी को देय अनुदान राशि राज्यमद से राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेंगी एवं अन्य लाभ इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी को मिल रहे लाभ के मत से देय होंगे।

1.4 प्रशासनिक व्ययः–

योजना के क्रियान्वयन के लिऐ कोई प्रशासनिक व्यय देय नहीं होगा।

1.5 लक्षित समूहः–

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित श्रेणियो के सभी परिवार जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है एवं इन्दिरा आवास योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं है इस योजना में पात्र होगें। वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत बिन्दु सं. 1.2 में वर्णित अन्य चिन्हित वर्गो में से एकल विधवा परिवार (आवास हीन) वर्ग को प्राथमिकता पर लाभान्वित किया जावेगा। इस वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उपरान्त ही निम्न प्राथमिकता अनुसार वर्गवार आवंटित लक्ष्य के आधार पर अन्य चिन्हित वर्ग को भी लाभान्वित किया जा सकेगा।

1. विकलांग परिवार।
2. आस्था कार्डधारी परिवार।
3. आदिवासी जन जातीय 5 जिलों (बांसवाडा, डूंगरपूर, प्रतापगढ, सिरोही व उदयपुर के ट्राईबल एरिया सब प्लान क्षेत्र) के अतिरिक्त अन्य जिलों में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति परिवार।
4. अन्त्योदय परिवार।
5. स्टेट बी.पी.एल. (विभागीय पत्र दिनांक 27.02.2009 के अनुसार आवासहीन परिवार)

1.6 लक्षित समूह का चयनः–

लक्षित समूह के चयन हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति उत्तरदायी होगें। लक्षित समूह के चयन के लिऐ उपलब्ध डाटा के आधार पर सूची बनाकर सत्यापन उपरान्त ग्राम सभा में चर्चा उपरान्त, प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अन्तिम रूप दिया जावेंगा, यह कार्य 30 मई 2015 तक पूर्ण कर लिया जावें। योजनान्तर्गत अन्य चिन्हित वर्गों में से एकल विधवा परिवार (आवास हीन) को विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा सत्यापन कर प्रथम वरीयता से लाभान्वित किया जावेगा।

ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त बिन्दु 1.2 में वर्णित वर्गवार सूचियों का पंचायत समिति पंचायत समिति की साधारण सभा के अनुमोदन उपरान्त अन्तिम सूची जिला परिषद द्वारा 30 जून 2015 तक प्रकाशित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यह सूची वरीयता क्रम में प्रकाशित करेंगे। अन्तिम सूची में नाम हटाने व जोडने के लिए अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के यहां करनी होगी।

योजना के अन्तर्गत वर्गवार व जिलेवार वार्षिक लक्ष्य ग्रामीण विकास अनुभाग–5 द्वारा जारी किये जावेंगे। आवंटित लक्ष्यो के क्रम में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा प्रकाशित अन्तिम वरीयता सूची के क्रम में जारी की जावेंगी।

1.7 क्रियान्वयनः–

इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में उपयोग में लिये जा रहे परिपत्र, किश्त हस्तांतरण प्रक्रिया, उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रक्रिया आदि समस्त प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिऐ प्रभावी होगी।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव
13/4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजस्थान
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार,
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त विभाग राजस्थान सरकार,
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान सरकार
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
10. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा
11. परियोजना निदेशक मो. एण्ड मु., ग्रामीण विकास विभाग
12. परियोजना निदेशक/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास, मुख्यालय
13. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
16. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
17. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास,/पंचायती राज मुख्यालय।
18. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त ।

शासन सचिव